

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)

बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. बहादुरमल पुत्र साधुराम जाति गुर्जर निवासी हरजनपुरा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर राज.।

—वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

—प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा व दुरुस्ती रिकार्ड

मुकदमा नं. 782-सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी वादी स्वयं मिनजानिब मुद्ई रुबरू ..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम हरजनपुरा तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 5, 3 में वादीगण का गलत दर्ज नाम "नेतराम, प्रभू, बहादुर पुत्रगण सादिया/साधुराम, सुन्दरी पत्नि सादिया/साधुराम" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "नेतराम, प्रभू, बहादुर पुत्रगण साधुराम, सुन्दरी पत्नि साधुराम" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

.निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें। बसवत मेरे दस्तावेजात व मुहर अदालत के आज तारीख 3 माह 12 सन् 2025 को जारी की गई।



मुहर

राजवीर सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)

	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

# ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. बहादुरमल पुत्र साधुराम जाति गुर्जर निवासी हरजनपुरा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर राज.।

- वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 782/2025

जीसीएमएस नं0 2025/1515


आदेश

दिनांक - 3/12/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम हरजनपुरा तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 5, 3 में वादी का गलत दर्ज नाम "नेतराम, प्रभू, बहादुर पुत्रगण सादिया/साधुराम, सुन्दरी पत्नि सादिया/साधुराम" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "नेतराम, प्रभू, बहादुर पुत्रगण साधुराम, सुन्दरी पत्नि साधुराम" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



  
(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)